

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-67/सीपी 402/84-2-2013-सीपी 6/2013
लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के, जिसे जिले का जिला फोरम के नाम से जाना जायेगा, अध्यक्ष, जैसा कि स्तम्भ-5 में उल्लिखित है, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित जिला फोरम के गठन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचनायें तदनुसार उपान्तरित हो जाएंगी।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला फोरम का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्ति व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	आगरा द्वितीय	श्री अशोक कुमार (अग्रवाल), सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व० राम औतार अग्रवाल, द्वारा श्री कमल जैन, 288/64/5, आर्यनगर नाका थाना, कमलकुंज, लखनऊ।	23.06.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
2	मैनपुरी	श्री उमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व० हरीश चन्द्र यादव, 12/12, सेक्टर-12, इन्दिरानगर, लखनऊ। (जन्मतिथि के प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति शासन एवं निबन्धक को उपलब्ध कराने की शर्त के साथ)	14.01.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
3	फतेहपुर	श्री ओम प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व० राम चन्द्र सिन्हा, 433, एल्डिको कालोनी, उद्यानप्रथम, निकट बंगला बाजार, लखनऊ।	01.01.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

4	आजमगढ	श्री खलील अहमद, सेवानिवृत्त अपर जिला जज पुत्र स्व0 हसन रजा, मुहल्ला घरे आजम खां, जिला रामपुर ।	13.05.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
5	सिद्धार्थनगर	श्री शम्भू शरण मिश्र, सेवानिवृत्त अपर जिला जज पुत्र स्व0 राम अंजोर मिश्र, ग्राम पूरे पण्डित गणेश, पत्रालय अंतू, जनपद प्रतापगढ।	25.07.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
6	कुशीनगर	श्री ओम प्रकाश तिवारी, सेवानिवृत्त जिला जज, पुत्र स्व0 बजरंगी तिवारी, सी-4/287, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	08.08.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
7	सोनभद्र	श्री अहिबरन सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला जज पुत्र स्व0 प्रेम सिंह, ग्राम-नगला झावर, पोस्ट- जगदीशपुर, जिला कन्नौज।	09.11.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
8	चन्दौली	श्री पवन कुमार जैन, सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व0 जय प्रकाश जैन, द्वारा श्री उमेश जैन, फ्लैट संख्या-266, सेक्टर-28, नोयडा।	15.08.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

आज्ञा से,



(दीपक त्रिवेदी)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 67/सीपी 402(1)/84-2-2013-सीपी 6/2013 तद दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोक्त।)

आज्ञा से,




(मुरलीधर दुबे)

विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 67/सीपी 402(2)/84-2-2013-सीपी 6/2013 तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र०, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1,
गोमती नगर, लखनऊ।
- (5) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, 30प्र०।
- (6) जिलाधिकारी (आगरा, मैनपुरी, फतेहपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर,
सोनभद्र, चन्दौली)।
- (7) जनपदीय कोषाधिकारी (आगरा, मैनपुरी, फतेहपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर,
कुशीनगर, सोनभद्र, चन्दौली)।
- (8) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, 30प्र०।
- (9) निजी सचिव, मा० मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप
विभाग, 30प्र०।
- (10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- (11) सम्बन्धित व्यक्ति को इस निर्देश के साथ कि कृपया पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के
अंदर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र०, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1,
गोमती नगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त कर
सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें (द्वारा
रजिस्टर्ड डाक)।
- (12) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (आगरा द्वितीय, मैनपुरी, फतेहपुर, आजमगढ़,
सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सोनभद्र, चन्दौली) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।
- (13) मीडिया प्रभारी, मुख्य सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), 30प्र० शासन।
- (14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(मुरलीधर दुबे)
विशेष सचिव।